

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी - शक्तिशिंह भाटी, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 44/2017

दायर दिनांक - 17/07/2017

निर्णय दिनांक - 19/06/2018

अनवान

1. सोहन पिता किशनलाल जाट सांसेरा तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. मोहन पिता किशनलाल जाट सांसेरा तहसील रेलमगरा
2. बोथमल पिता किशनलाल जाट सांसेरा तहसील रेलमगरा
3. सुन्दर बाई पत्नि भैरूलाल जाट सांसेरा तहसील रेलमगरा
4. रतनलाल पिता कालू जाट सांसेरा तहसील रेलमगरा
5. कैलाशी पत्नि शिवलाल जाट सांसेरा तहसील रेलमगरा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

:: निर्णय ::

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत विभाजन के प्रस्तुत किया कि ग्राम सासेरा पटवार हल्का सासेरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बनेडिया तहसील रेलमगरा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से लगायात 5 तक के सयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमिया स्थित है। जिसके वर्तमान खाता संख्या नया 311 एवं पुराना 358 की आराजी संख्या 177 रकबा 01-12 बिघा स्थित है। वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमिया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से लगायात 5 तक सयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा निहित होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिससे वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का विभाजन वादपत्र की पैरा संख्या 2 के अनुसार हिस्से अनुसार कराया जाकर वादी को अपने हिस्से 1/3 का स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली प्रारम्भिक डिक्री की पालना में नियत थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा

आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2018 के तहत ग्राम पंचायत सांसेरा पर आयोजित शिविर में रखा गया। दौराने शिविर वादी उपस्थित। तहसीलदार रेलमगरा ने शिविर के दौरान विभाजन फहरिस्त मय अनुशंषा के प्रस्तुत की गयी जिस पर वादी द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गयी। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन फहरिस्त अनुसार पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है।

क्र.स.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	सोहनलाल पिता किशनलाल जाट सा. देह खातेदार	177 मीन	00-10-13	0.23
	योग	किता - 01	00-10-13	0.23
2	मोहनलाल, बोथमल, सुन्दरबाई पिता किशनलाल, रतनलाल, कैलाशी पिता कालू जाट सा.देह खातेदार	177 / 1	01-01-07	0.47
	योग	किता - 01	01-01-07	0.47

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पूर्वानुसार रहन यथावत रखा जावे। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19/06/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प कोर्ट पर सुनाया गया।



(शक्तिसिंह भाटी)

सहायक कलेक्टर  
(उप खण्ड अधिकारी)

मूल वाद मे डिकी ( आदेश 20 नियम 6 व 7 )  
न्यायालय सहायक कलक्टर ( उपखण्ड अधिकारी ) रेलमगरा जिला राजसमन्द  
पीठासीन अधिकारी :- शक्ति सिंह भाटी आर०ए०एस०  
राजस्व वाद संख्या :- 44/2017

अनवान

वादी पक्ष :-

1. सोहन पिता किशनलाल जाट सांसेरा तहसील रेलमगरा  
बनाम

प्रतिवादीपक्ष :-

1. मोहन पिता किशनलाल जाट सांसेरा तहसील रेलमगरा
2. बोथमल पिता किशनलाल जाट सांसेरा तहसील रेलमगरा
3. सुन्दर बाई पत्नि भैरूलाल जाट सांसेरा तहसील रेलमगरा
4. रतनलाल पिता कालू जाट सांसेरा तहसील रेलमगरा
5. कैलाशी पत्नि शिवलाल जाट सांसेरा तहसील रेलमगरा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

दावा :- विभाजन

वादी की ओर से :- महेश सोनी

प्रतिवादी की ओर से :-


में इस आशय मे दिनांक 19/06/2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन फहरिस्त अनुसार ग्राम सांसेरा के आराजी संख्या 177 रकबा 01-12 बीघा का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

क्र.स.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	सोहनलाल पिता किशनलाल जाट सा.देह खातेदार	177 मीन	00-10-13	0.23
	योग	किता - 01	00-10-13	0.23
2	मोहनलाल, बोथमल, सुन्दरबाई पिता किशनलाल, रतनलाल, कैलाशी पिता कालू जाट सा.देह खातेदार	177/1	01-01-07	0.47
	योग	किता - 01	01-01-07	0.47

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पूर्वानुसार रहन यथावत रखा जावे। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार ही नम्बर से कम की जावे।

आज दिनांक 19/06/2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी की गई।



  
(शक्तिसिंह भाटी)  
सहायक कलक्टर  
(उप खण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा